उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक- 23.08.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं/बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति महोबा पुलिस द्वारा निरंतर किया जा रहा है जागरुक-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के तहत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आज दिनांक 23.08.2024 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है । साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों यथा- वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पीडितों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया, प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 23.08.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी। जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना जा रहा है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं को लेकर आये उन सभी की समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में सभी अधीनस्थों को निर्देशित किया गया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर पर हो सकता है उन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण थाना स्तर पर ही कराना सुनिश्चित किया जाये किसी भी फरियादी को परेशान न किया जाये; सभी से सम्मान पूर्वक बर्ताव किया जाये, निर्देशित किया गया कि घटना की तथ्यात्मक जानकारी करते हुये गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये याद रखे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिये, किसी भी पीड़ित से गलत व्यवहार की सूचना प्राप्त होने पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ।

थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शस्त्र की निर्माण, बिक्री व परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.08.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री प्रवीण कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 शिवदान सिंह, उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी व कां0 हवन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम मवइया के पास से एक नफर अभियुक्त दीपक कुमार यादव पुत्र अमृतलाल यादव उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम खाई थाना करछना जनपद प्रयागराज को हिरासत में लिया जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर नाजायज बरामद हुआ, इस बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना अजनर में मु.अ.सं. 171/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 शिवदान सिंह
2. उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी
3. कां0 हवन कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त –

दीपक कुमार यादव पुत्र अमृतलाल यादव उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम खाई थाना करछना जनपद प्रयागराज।

बरामदगी –

एक अदद नाजायज तमंचा 32 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर।

थाना खन्ना की पुलिस टीम ने नाबालिक से छेडछाड एवं मारपीट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले वांछित/वारण्टी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.08.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना खन्ना प्रभारी निरीक्षक गोपाल चन्द्र कन्नौजिया द्वारा गठित की गई उ0नि0 मौजीलाल वर्मा मय हमराह हे0का0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना खन्ना में पंजीकृत मु.अ.स. 115/24 धारा 74/115(2)/351(3) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(2)5-क, 3(1)ब(1) एससी/एसटी एक्ट के वांछित अभियुक्त शहबाज खां पुत्र हकीमुद्दीन नि0 ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 19 वर्ष को खन्ना बस स्टैण्ड बह्द ग्राम खन्ना से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद गिरफ्तारी अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. शहबाज खां पुत्र श्री हकीमुद्दीन नि0 ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 मौजीलाल वर्मा
2. हे0का0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने नाबालिक भतीजी से दुष्कर्म की दुस्साहसिक घटना कारित करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले वांछित/वारण्टी अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.08.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर महोबा प्रभारी निरीक्षक, नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 मिथलेश मिश्रा मय हमराह का0 पंकज सिसौदिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत मु**0**अ**0**स**0 414/2024** धारा **65(1)/351(3) BNS** व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1-गुड्डू सिंह उर्फ जारेन्द्र सिंह पुत्र रामनरेश सिंह उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम रतौली पुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को ग्राम रतौली पुरवा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त अभियुक्त को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

गुड्डू सिंह उर्फ जारेन्द्र सिंह पुत्र रामनरेश सिंह उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम रतौली पुरवा थाना कोतवाली नगर महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 मिथलेश मिश्रा थाना कोतवाली नगर महोबा।
2. का0 पंकज सिसौदिया थाना कोतवाली नगर महोबा।